भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1193

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

22 माघ, 1943 (शक)

कुछ ऐप्स के माध्यम से सरकारी दस्तावेजों को भेजने पर रोक

1193 # श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :
चौधरी सुखराम सिंह यादव :
श्री राम नाथ ठाकुर :
श्रीमती छाया वर्मा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि व्हाट्सऐप, जूम, टेलीग्राम या गूगल मीट के माध्यम से सरकारी दस्तावेज भेजने पर रोक लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) संचार के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा किन-किन यंत्रों का प्रयोग करने पर जोर दिया जा रहा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और **(ख)** : जी, हां । गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी विभागीय सुरक्षा निर्देशों (एमओडीएसआई) और राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति दिशानिर्देशों (एनआईएसपीजी) के नियम पुस्तक में प्रदत सूचना सुरक्षा निर्देश, जो समय-समय पर विभिन्न परामर्शी निदेश द्वारा अनुपूरक होते हैं, जो वर्गीकृत आधिकारिक संचार भेजने के लिए सार्वजनिक डोमेन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करने के लिए सभी मंत्रालयों / सरकारी विभागों की आवश्यकता होती है। ।

(ग) : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) या सरकारी त्वरित संदेश प्लेटफॉर्म- एनआईसी द्वारा संदेश द्वारा प्रदान की जाने वाली सरकारी ईमेल सेवा का उपयोग या टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सीडीओटी) द्वारा संवाद की सिफारिश मंत्रालयों / विभागों में गोपनीय और संचार प्रतिबंधित जानकारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि इन प्लेटफार्मों के माध्यम से भी शीर्ष गुप्त और गुप्त वर्गीकृत जानकारी साझा नहीं की जाएगी।

****